

प्रश्न

आयुक्त,
मुद्रादाबद मण्डल,
मुद्रादाबद।

संबंध में

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा भवन-2, समुदाय भवन, प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

संख्या 1159 / 21-59 (2008-09) जे0एच

दिनांक: 27 जून 2014

विषय - सेन्ट मैरा एकेडमी, काशीराम नगर ब्रॉन्च, माड काशीराम नगर योजना, मार्ग आण गौतमबुद्ध पार्क, मुद्रादाबद को सी0पी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रस्ताव पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय की और आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु अवगत कराना है कि सेन्ट मैरा एकेडमी, काशीराम नगर ब्रॉन्च, माड काशीराम नगर योजना, मार्ग आण गौतमबुद्ध पार्क, मुद्रादाबद को सी0पी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रस्ताव पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अपत्ति नहीं दी -

- 1- विद्यालय की एग्रेग्रेट सोलरसी का अनुप-सम्यक् उपयोग करना आवश्यक है।
- 2- विद्यालय की प्रत्येक स्त्री में शिक्षा निदेशक द्वारा नियत एक शिक्षक होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 शिक्षण स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें छात्रावास/वेतन शिक्षा निदेशक/समिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों में विभिन्न प्रकारों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- राज्य द्वारा राज्य सरकार से किसी स्तुत्यान की योग्यता की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशक से सम्बद्धता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता संश्लेषण के लिए संकेतित शुल्क/शुल्क नई दिल्ली से प्राप्त होगी है तो राज्य परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से छात्रावास/माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित मायता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की अनुपस्थिति तथा अन्य बातों से कम वेतनगत तथा अन्य बातें नहीं गिरे जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सम्बन्धित प्रभा जशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुपस्थिति सेवा नियुक्ति का तत्पश्चात् उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा अनुप-सम्यक् से जो भी अपेक्षा निर्गत किये जायेंगे संस्था उत्तरदायी होगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निवृत्ति प्रमाण पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी0पी0एस0ई0 नई दिल्ली द्वारा नियमित सत्रों के अनुसार भूमि, खान एवं अन्य आवश्यकता सुविधाओं के उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्ण संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- संस्था विद्यालय का संस्थागत अनापत्ति प्रस्ताव से तथा अनुप-सम्यक् में उल्लिखित मुद्रादाबद विभिन्न परीक्षाएं, मुद्रादाबद को माड की काशीराम नगर योजना (गोमपुर भवन) मुद्रादाबद के जवाब में राज्य सरकार 1208.12 का भीतर (सी0पी0एस0ई0 के जवाब में) भूमि में निर्मित भवन व भूमि में निर्मित जायेगा। भूमि का प्रयोग अन्य किसी उपयोग हेतु करने का विद्यालय को अस्वीकार्य होगा।
- 11- संस्था भर्ती में राज्य सरकार के पूर्वानुमति के बिना कोई परीक्षा/परीक्षा/परीक्षा नहीं किया जायेगा।

संस्था प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी कारण वश ऐसा होता है कि संस्था द्वारा राज्य प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की दुरुस्ती मिलिकता करती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(शिवाजी मिश्र)

अयुक्त

संस्था पूर्व दिनांक : 24/6/14

प्रतिबन्धित विद्यार्थियों को सुवर्णाथ एवं व्यवस्थापक द्वारा ही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (माड), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निरीक्षक, जगत भवती विद्यालय जे0एच, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रादाबद।
- 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, हादरा मण्डल, मुद्रादाबद।
- 6- शिक्षा विभाग, निरीक्षक, मुद्रादाबद।

प्रत्येक, सेन्ट मैरा एकेडमी, काशीराम नगर ब्रॉन्च, माड काशीराम नगर योजना, मार्ग आण गौतमबुद्ध पार्क, मुद्रादाबद।

(शिवाजी मिश्र)

अयुक्त